



जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 302004

चित्रकूट योजना, मुख्य गाँधी पथ, जयपुर में स्वतंत्र आवासीय भूखण्डों की

भाव्य नीलाामी



Photograph is indicative only (not actual)

सम्पत्ति का विवरण

| क्र. सं. | नीलामी की दिनांक एवं समय | भूखण्ड संख्या | क्षेत्रफल (व.मी.) |
|----------|--------------------------|---------------|-------------------|
| 1. | 24.01.2014 | 3/9 | 324.00 |
| | 2.30 बजे | 3/11 | 324.00 |
| | मध्याह्न | 3/20 (कॉर्नर) | 441.00 |
| 2. | 27.01.2014 | 3/1 (कॉर्नर) | 414.00 |
| | 2.30 बजे | 3/8 | 324.00 |
| | मध्याह्न | 3/10 | 324.00 |

बोली प्रारम्भ करने की दर
₹ 50,000 प्र.व.मी.

अमानत राशि
₹ 15 लाख

नीलामी स्थल
जविप्रा नीलामी कक्ष

नीलामी की मुख्य शर्तें :- (1) रजिस्ट्रेशन राशि रु. 5,000/- नगद /पे-ऑर्डर द्वारा देय जो किसी भी बोलीदाता को वापस देय नहीं। (2) अमानत राशि- उपरोक्तानुसार बोली से पूर्व डी.डी./पे-ऑर्डर के रूप में सचिव, जविप्रा के पक्ष में देय। (3) 10 प्रतिशत राशि- उच्चतम बोलीदाता को बोली के 72 घंटे में जमा करानी अनिवार्य अन्यथा अमानत राशि जब्त। (4) बोलीदाता को पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति जमा करानी होगी। (5) शेष राशि- माँग पत्र से 30 दिन में जमा करानी होगी। (6) किशतों की सुविधा- प्राधिकरण की शर्तों पर 72 घंटे में आवेदन करने पर। (7) मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित। (8) एक बोलीदाता के साथ एक से अधिक व्यक्ति का प्रवेश वर्जित। (9) क्रेता स्वयं के अलावा अन्य व्यक्ति/फर्म/कम्पनी की ओर से भाग लेने पर निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे- (अ) अन्य व्यक्ति की ओर से भाग लेने पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित अधिकार पत्र (ब) फर्म/कम्पनी की ओर से भाग लेने पर रजिस्ट्रेशन, संविधान तथा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित अधिकार पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य। (10) बोली रु. 50/- प्र.व.मी. के गुणांक में स्वीकार। (11) शहरी जमाबन्दी-आवासीय आरक्षित दर का 2.5 प्रतिशत प्र.व.मी. प्रति वर्ष देय, जो प्रथम 5 वर्ष तक आधी देय। (12) बीएसयूपी (शेल्टर) फण्ड चार्ज रु. 10/- प्र.व.मी. देय। (13) उच्चतम बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार जयपुर विकास आयुक्त में निहित जो अन्तिम व मान्य होगा। (14) प्रचलित नियम एवं शर्तें लागू। (15) सम्पत्ति 'जहाँ है जैसी है' के आधार पर नीलाम। (16) भूखण्ड का क्षेत्रफल मौके की स्थिति के अनुसार घट-बढ़ सकता है। (17) निर्माण क्षेत्रफल नियमानुसार। (18) विस्तृत जानकारी के लिए कमरा नं. 107, 128 एवं उपायुक्त जोन-7 से सम्पर्क करें।

कृपया हमारी वेबसाइट : www.jaipurjda.org पर लॉग ऑन करें या अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)
फोन : 0141-2562053, 2569696 (7107, 1128) मो.: 91-9414033442

उपायुक्त जोन-7
मो.: 91-9413349447